(1)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक– 2421 /1686/उ0शि0/2004 रायपुर, दिनांक 7-8-2004

प्रति,

जिलाध्यक्ष,
समस्त जिला . . . .
छत्तीसगढ़ ।

1927
12/8/04

विषय :– जिले के अन्तर्गत शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी समिति में अध्यक्ष के मनोनयन की कार्यवाही करने बाबत् ।

उक्त विषयान्तर्गत अवगत हो कि वर्तमान में पूर्व से कार्यरत, जनभागीदारी समिति भंग होने के कारण महाविद्यालय में अध्यापन एवं अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं ।

महाविद्यालय की सुव्यवस्था, छात्रों के हित एवं अध्यापन कार्य की क्रियाशीलता को दृष्टिगत रखकर निम्नांकित वैकल्पिक व्यवस्था की गई है :–

(1) कलेक्टर अथवा नामांकित व्यक्ति,
(2) महाविद्यालय प्राचार्य,
(3) महाविद्यालय के दो वरिष्ठ प्राध्यापक,
(बैंकिंग प्रक्रिया के जानकार)
प्राचार्य द्वारा अनुमोदित

डॉ. विनय कुमार ... जनभागीदारी समिति प्रभारी

सम्बन्धित जिलाध्यक्ष अपने जिले के सभी शासकीय महाविद्यालय हेतु प्रभारी मंत्रियों से मिलकर समितियों हेतु नाम प्राप्त करें । तत्पश्चात् समिति के गठन एवं उसके अध्यक्ष के मनोनयन की सूचना से सम्बन्धित प्राचार्य महाविद्यालय को अवगत करावें ताकि सम्बन्धित प्राचार्य, अपने महाविद्यालय की गतिविधि एवं अध्यापन कार्यों का सुसंचालन करने में सक्षम रहे ।

(हस्ताक्षर) 5/8/04
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियो0,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृ0क्र0– 2422 /1686/उ0शि0/2004, रायपुर, दिनांक 7-8-2004

प्रतिलिपि :–

1– निज सचिव, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, छ0ग0 शासन, रायपुर ।
2– अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
3– आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर ।
4– प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 5/8/04
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग